COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

नकल आदेश दिनांक 16-8-09 —

न्यायालय अति० कले० - प्र० श्रे० / उपजिलाधिकारी हसनपुर

शामिल वादसंख्या 12/09

धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

ग्राम - सुंगावली तहसील व परगना हसनपुर

श्री गणपति चैरिटेबल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट मेरठ द्वारा नरेश

कुमार — बनाम — ग्राम सभा

संलग्न आदेश की छायाप्रति

न्यायालय असि0कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/उपजिलाधिकारी हसनपुर (जे0पी0नगर)

वाद सं0 12 /2009 धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

ग्राम खुंगावली तहसील व परगना हसनपुर

श्री गणपति चैरिटेबिल एन्ड वैलफेयर ट्रस्ट मेरठ डा0 दिनेश कुमार बनाम ग्रामसभा

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीगणपति चैरिटेबिल एन्ड वैलफेयर ट्रस्ट मेरठ अध्यक्ष डा0 दिनेश कुमार नि0 118बी0 तक्षशिला कालोनी मेरठ द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा है कि ग्राम खुंगावली के खाटा सं0/क्षे0268अ/0.101हे0268ब/0.105हे0 269/1.001हे0 कुल तीन किते रकवा1.207हे0 के प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर है जिसे अकृषिक भूमि घोषित किए जाने का अनुरोध किया है । जिस पर तहसीलदार हसनपुर से आख्या मंगाई गई । तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 15-8-09 में कहा है कि ग्राम खुगावली की खतौनी वर्ष 1412 ता 1417फसली के खाता सं0 48 गाटा सं0/क्षे0 268/0.101हे0, 268ब/0.105हे0 व 269/1.001हे0 पर आवेदक श्री गणपति चैरिटेबिल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मेरठ द्वारा डा0 दिनेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । मौके पर भूमि अकृषिक है । अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की संस्तुति की की है ।

मेरे द्वारा तहसीलदार आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपनी आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की संस्तुति की है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार हसनपुर की आख्या के आधार पर भूमिअकृषिक घोषित किए जाने योग्य है ।

आदेश

अतः ग्राम खुंगावली के खाता सं0 48 गाटा सं0/क्षे0 268अ/0.101हे0 268ब/0.105हे0 एवं 269/1.001हे0 कुल तीन किते रकवा1.207 हे0लगान 23.00रूपए को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । लगान समाप्त किया जाता है । इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हसनपुर व एक प्रति उपनिबंधक हसनपुर को अनुपालनार्थ भेजी जाए । तहसीलदार हसनपुर की आख्या इस आदेश का अंग रहेगी । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

Shishir
(शिशिर)
असि0कलेक्टर (प्र0श्रेणी)/
उपजिलाधिकारी हसनपुर।

आज दिनांक 16-8-09 को यह आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा न्यायालय की मुद्रा सहित हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया ।

Shishir
(शिशिर)
असि0कलेक्टर (प्र0श्रेणी)/
उपजिलाधिकारी हसनपुर।

आवश्यक 141 24-8-09
400
25-8-09
25-8-09

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
पेशकार
उपजिलाधिकारी हसनपुर